

पत्र संख्या-बी० एस०-10.379- / 2011 - 455

निबंधन महानिरीक्षक, बिहार का कार्यालय  
(दाखिल करने का प्रमाण पत्र)

एतवारी बादामी एसेट फाउण्डेशन

पटना, दिनांक- 11/3/2011

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित आलेख्य सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860 के उपबन्धों के अनुसार यथावत् दाखिल / निबंधित/ अभिलेखित किया गया / किये गये।

फीस का ज्ञाप रु० 50/- (पचास रुपये) केवल।

संस्था स्मृति-पत्र/नियमावली एवं आम सभा का प्रस्ताव की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

9/3/11  
वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,  
बिहार, पटना।

श्री मणिशंकर यादव

सचिव, 'एतवारी बादामी एसेट फाउण्डेशन'

शहर/गाँव- अमरपुर, अंचल- अमरपुर जिला- बाँका, पिन कोड- 813101  
(बिहार)

की सेवा में उनके पत्र संख्या - दिनांक 15/02/2011 के प्रसंग में अग्रसारित।

निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न है, प्राप्ति की सूचना दें।

9/3/11  
वास्ते महानिरीक्षक, निबंधन,  
बिहार, पटना।



No 016307

## संस्थाओं के निबन्धन का प्रमाण-पत्र

( ऐक्ट 21, 1860 )

संख्या 2232

वर्ष 2010-11

मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि पुस्तकालय बादामी स्ट्रीट फाउण्डेशन.....

शहर/गाँव- आमरपुर, अंचल- आमरपुर, जिला- बाँका, पिनकोड- 813101 (बिहार)

सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860 के अधीन आज यथावत् निबन्धित हुआ/हुई ।

आज तारीख 21 मार्च 2010 वर्ष शुक्रवार को पटना में मेरे हस्ताक्षर के साथ दिया गया ।

संस्था निबन्धन अधिनियम-21, 1860 के अधीन निबन्धन विभाग मात्र संस्था का निबन्धन करता है। निबन्धन को संस्था के वास्तव में कार्यरत होने या ना होने का प्रमाण या विधीय सहायता

वि. सं. मुं० (निबन्धन), 1 — II — 10, 000 — 8-5-2010

बाबू, महानिरीक्षक, निबन्धन, बिहार, पटना ।

## आम-सभा का प्रस्ताव

आज दिनांक-03/01/2011 को “**एतवारी बादामी एसेट फाउण्डेशन**” की आम सभा की बैठक अध्यक्ष **श्री सुशील कुमार** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गये ।

### प्रस्ताव संख्या-1

सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि “**एतवारी बादामी एसेट फाउण्डेशन**” की निबंधन संस्था निबंधन अधिनियम 21,1860 के अन्तर्गत निबंधित करा लिया जाय ।

### प्रस्ताव संख्या-2

साथ ही सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था के निबंधन कराने का भार सचिव **श्री मणिकान्त साह** को सौंपा जाय ।

ह0/- अध्यक्ष

.....  
प्रमाणित किया जाता है कि यह आम-सभा के प्रस्ताव की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष

Sushil Kumar

सचिव

Manikant Sah

# “एतवारी बादामी एसेट फाउण्डेशन”

## स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम :- “एतवारी बादामी एसेट फाउण्डेशन”

2. प्रधान कार्यालय :- इस संस्था का प्रधान कार्यालय- शहर/गाँव-अमरपुर  
अंचल-अमरपुर  
जिला-बांका

पिन कोड-813101(बिहार) में रहेगा

आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थान परिवर्तन की सूचना 15 दिनों के अन्दर निबंधन विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग को दे दी जायेगी ।

3. कार्यक्षेत्र :- इस संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा ।

4. उद्देश्य :- इस संस्था के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य होंगे :-





1. संस्था द्वारा समाज के असहाय महिलाओं, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आदिवासियों, अनाथों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना ।
2. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, महिला शक्तिकरण, बालबाड़ी, आगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह, पालनागृह, पौष्टिक आहार केन्द्र का संचालन करना ।
3. महिला श्रमिक, बाल श्रमिकों एवं अन्य श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना । उनके लिए शिक्षा एवं पुनर्वास की व्यवस्था करना ।
4. निःसहाय महिलाओं एवं पुरुषों के आर्थिक विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, पशुपालन, मत्स्यपालन, मुर्गीपालन, बकरीपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनने में मदद करना ।
5. शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन कर लोगों के बौद्धिक विकास में मदद करेगी तथा आवासीय विद्यालय, महाविद्यालय, प्रौढ शिक्षा, सर्व शिक्षा, पुस्तकालय, वाचनालय, पठन-पाठन कक्ष, छात्रावास, अनौपचारिक शिक्षा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यालय, मुक एवं बधिर विकलांग विद्यालय का संचालन करना तथा गरीब असहाय, विकलांग, अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं को हर संभव आर्थिक सहायता देकर आगे बढ़ने में मदद करना ।
6. शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकणकला, आशुलिपि, कम्प्यूटर, मोबाईल मरम्मत, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं अन्य तकनीकी एवं गैर तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करना ।
7. समाज के सभी वर्गों के गरीब लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना । परिवार कल्याण शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर, रक्त दान शिविर, टीकाकरण शिविर, स्वास्थ्य शिविर आदि का संचालन करना ।

सुनील कुमार  
21/1/2018




8. असाध्य रोग, एड्स, कैंसर, टी0बी0 कालाजार हेपेटाईटिस आदि से बचने हेतु अवश्यक जानकारी देना एवं ग्रसित लोगों को चिकित्सा सेवा, नेत्र चिकित्सा, एम्बुलेश सेवा, चलन्त चिकित्सा उपलब्ध कराना तथा । विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का प्रचार-प्रसार एवं प्रशिक्षण करना ।
9. पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना । सौर उर्जा, प्राकृतिक उर्जा का प्रचार-प्रसार करना । ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना । लोगों को स्वच्छ पेयजल, कम लागत के शौचालय, यातायात के नियमों का प्रचार-प्रसार करना ।
10. विकलांगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ने हेतु आवश्यक कार्यक्रमों का संचालन करना ।
11. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं के लिए आश्रय स्थल, भोजन, शिक्षा आदि की व्यवस्था करना । उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना ।
12. आकस्मिक आपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, महामारी, सुखाड आदि में राहत कार्यक्रमों का संचालन करना । राहत कार्यों में सहयोग करना ।
13. समाज में व्याप्त कुरीतियाँ जैसे बाल-विवाह, अंधविश्वास, दहेज प्रथा, आदि की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना । आदर्श विवाह, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना तथा भीक्षाटन उन्मूलन कार्यक्रम का संचालन करना तथा उन्हें समाज के मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करना ।
14. संस्था द्वारा युवक युवतियों को कम्प्यूटर से संबंधित विभिन्न स्तर के व्यवसायिक पाठ्यक्रमों का संचालन, हार्ड वेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट आदि विभिन्न पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन करना ।
15. संस्था द्वारा कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद, सिंचाई के उपयुक्त साधन, वर्मी खाद, मशरूम एवं मखाना की खेती, जलछाजन, जलसंचयन, आदि उपलब्ध कराना । फसल बीमा, पशु बीमा एवं अन्य बीमा की जानकारी एवं प्रचार प्रसार कर लोगों को लाभान्वित करना तथा बंजर भूमि का निवारण के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना ।
16. औषधीय, सुगंधी पौधों एवं नगदी पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना ।
17. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना । पत्र-पत्रिकाओं का वितरण एवं संग्रह करना । नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना । कलाकरों को प्रोत्साहित कराना ।
18. संस्था द्वारा वन्य जीव, पशु-पक्षी एवं लावारिश पशु के संरक्षण हेतु प्रयास करेंगी ।
19. देश की एकता, अखण्डता, आपसी सद्भावना कार्यक्रमों का संचालन करना ।
20. उपभोक्ता संरक्षण, पंचायती राज, ध्वंसक मताधिकार, मानवाधिकार आदि की जानकारी देना एवं जागरूक करना ।
21. महिलाओं को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कशीदाकारी, पेन्टिंग, गुडिया, आचार, मुरबा, जैली, जैम आदि का निर्माण एवं अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण सौन्दर्य एवं प्रसाधन आदि की जानकारी देना ।

निर्वाह विभाग  
आयुक्त

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा पद एवं स्वहस्ताक्षरित फोटो नीचे दिया गया है। वर्तमान के कार्यकारिणी समिति के सदस्य है, जिन पर संस्था के नियमानुसार प्रबंध का भर सौपा गया है।



क्र०	नाम पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो
1	2	3	4	5	6
1	सुशील कुमार पिता-महावीर साह	मोजाहिदपुर ठाकुर प्रसाद लेन, भागलपुर अंचल-जगदीशपुर, कटघर, गुलागीबाग, भ 11 ग ल पुर, पिन-812005	समाज सेवा	अध्यक्ष	
2	मणिकांत साह पिता-स्व० एतवारी प्र० साह	शहर/गांव-अमरपुर अंचल-अमरपुर जिला-बांका पिन-813101	समाज सेवा	सचिव	
3	कुमारी खूशबू पिता-स्व० ओम प्रकाश साह	मिरजानहाट रोड मिरजान भागलपुर पिन-812005	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष	
4	निवास झा पिता- नागेश्वर झा	172,क, विदनचक विदनचक, शहर/गांव-विदनचक अंचल-अमरपुर जिला-बांका पिन-813101	समाज सेवा	सदस्य	

पिता/पति  
आपको




क्र.0	नाम पिता/पति का नाम	पता	पेशा	पद	स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटो
1	2	3	4	5	6
5	शालिनी साहा पिता- भीम नारायण साहा	शहर/गाँव- अमरपुर अंचल- अमरपुर जिला- बांका पिन- 813101	समाज सेवा	सदस्य	 Shalini Saha
6	अजय साह पिता-जलधर साह	114, बनहारा, शहर/गांव-अमरपुर अंचल-अमरपुर जिला-बांका पिन-813101	समाज सेवा	सदस्य	 Ajay Sah
7	बासुकी गांय, पिता-शिवपूजन गांय	मेन सं.-12 ग्राम+पो0-अमरपुर जिला-बांका पिन-813101	समाज सेवा	सदस्य	 Basuki Gaing

पितापुत्र  
अनुमति

निम्नलिखित व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति का नाम, पता, पेशा पद एवं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है। वर्तमान के स्मृति-पत्र के अनुसार संख्या निबंधन अधिनियम 21,1860 के अन्तर्गत निबंधन के आकांक्षी हैं।

क्र०	नाम पिता/पति का नाम	पता	पेशा	स्वहस्ताक्षरित साईज फोटो	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1	सुशील कुमार पिता-महावीर साह	मोजाहिदपुर ठाकुर प्रसाद लेन, भागलपुर अंचल-जगदीशपुर, कटघर, गुलागीबाग, भागलपुर, पिन-812005	समाज सेवा		Sushil Kumar
2	मणिकांत साह पिता-स्व० एतवारी प्र० साह	शहर/गांव-अमरपुर अंचल-अमरपुर जिला-बांका पिन-813101	समाज सेवा		Manikant Sah
3	कुमारी खूशबू पिता-स्व० ओम प्रकाश साह	मिरजानहाट रोड मिरजान भागलपुर पिन-812005	समाज सेवा		Kumari Khushboo
4	निवास झा पिता- नागेश्वर झा	172,क, विदनचक विदनचक, शहर/गांव-विदनचक अंचल-अमरपुर जिला-बांका पिन-813101	समाज सेवा		निवास झा

मिलान क्लब  
आयुर्वेद

क्र.सं.	नाम पिता/पति का नाम	पता	पेशा	स्वहस्ताक्षरित साईज फोटो	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
5	शालिनी साहा पिता- भीम नारायण साहा	शहर/गाँव- अमरपुर अंचल- अमरपुर जिला- बांका पिन- 813101	समाज सेवा		Shalini Saha
6	अजय साह पिता-जलधर साह	114, बनहारा, शहर/गाँव-अमरपुर अंचल-अमरपुर जिला-बांका पिन-813101	समाज सेवा		Ajay Sah
7	बासुकी गांय, पिता-शिवपूजन गांय	मोन सं.-12 ग्राम+पो0-अमरपुर जिला-बांका पिन-813101	समाज सेवा		Basuki Gaim

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त क्रमांक 01 से लेकर 07 तक के सभी व्यक्तियों ने मेरे सामने हस्ताक्षर किए हैं, जिन्हें मैं जानता एवं पहचानता हूँ ।

पिता साह साह  
अमरपुर

हस्ताक्षर  
नाम  
मुहर

शिवराज  
22/11

★ प्रशासनात्मक &  
बादशं संस्कृतोच्च विद्यालय  
बनहपुर ( बांका )

# “एतवारी वादामी एसैट फाउण्डेशन”

का  
नियमावली

1. संस्था का नाम “एतवारी वादामी एसैट फाउण्डेशन”
2. परिभाषा
  - क- संस्था से अभिप्राय है :- “एतवारी वादामी एसैट फाउण्डेशन”
  - ख- समिति से अभिप्राय है :- संस्था की कार्यकारिणी समिति ।
  - ग- पदाधिकारी से अभिप्राय है :- अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष ।
  - घ- वर्ष से अभिप्राय है :- 01 मई अप्रील से 31 मार्च तक ।
  - ङ- एक्ट से अभिप्राय है :- सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 21, 1860
3. सदस्यता

कोई भी महिला एवं पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक की हो तथा संस्था के नियमों एवं उद्देश्यों का पालन करते हो वे इस संस्था के सदस्य बन सकते हैं । सदस्यता ग्रहण करने हेतु उन्हें विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदान की जायेगी । संस्था के प्रत्येक सदस्य को 51/- रूपये प्रवेश शुल्क एवं 101/- रूपये वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा ।
4. सदस्यता से विमुक्ति :-

निम्नलिखित दशाओं में सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जाएगी ।

  - क- स्वयं त्याग पत्र देने पर ।
  - ख- पागल या मृत्यु होने पर ।
  - ग- समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर ।
  - घ- लगातार तीन वर्ष तक सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।
  - ङ- बिना सूचना के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।
  - च- न्यायालय द्वारा दंडित होने पर ।
5. कार्यकारिणी समिति का गठन :-
  - क- कार्यकारिणी समिति में पदाधिकारी सहित 07 (सात) सदस्य होंगे ।
  - ख- कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चुनाव आमसभा द्वारा किया जाएगा ।
  - ग- कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों का होगा । निवृत्त सदस्य पुनः चुने जा सकते हैं ।
  - घ- अगर समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर समिति किसी सदस्य को मनोनीत कर सकती है । लेकिन वार्षिक बैठक में उसे विधिवत चुनाव करा लेना होगा । चुने हुए पदाधिकारी एवं सदस्य अपने पद के अनुरूप कार्य करेंगे ।

प्रिलान विप  
अध्यक्ष

6. पदाधिकारियों के कार्य एवं अधिकार :-अध्यक्ष

- क- संस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
- ख- कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।
- ग- किसी विषय पर समान मत होने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।
- घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

सचिव

- क- संस्था के प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
- ख- संस्था की ओर से पत्राचार करना ।
- ग- पंजियों एवं कागजातों को सुरक्षित रखना ।
- घ- आय-व्यय का लेखा बैठक में प्रस्तुत करना ।
- ङ- संस्था के निधि का अंकेक्षण करना ।
- च- कार्यवाही को कार्यवाही पंजी में लिखना एवं अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
- छ- कार्यकारिणी समिति के राय से कर्मचारियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी के आदेश पारित करना ।
- ज- आवश्यकतानुसार अपने पास 5000/- ₹0 तक रखना और विशेष खर्च के लिए समिति की बैठक से पास कराकर कार्य करना ।
- झ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

कोषाध्यक्ष

- क- संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के द्वारा आहूत बैठक में प्रस्तुत करना ।
- ख- संस्था के सदस्यता शुल्क, प्रवेश शुल्क, दान, चन्दा आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
- ग- संस्था के कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम से जमा करना ।

7. कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कार्य :-

- क- संस्था के चल एवं अचल सम्पत्ति के उत्तरदायी होगा ।
- ख- संस्था के सभी कार्यों का सम्पादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।
- ग- शाखा एवं उपशाखा का गठन करना ।
- घ- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।

8. आम सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :-

- क- समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का निर्वाचन करना ।
- ख- संस्था के आय-व्यय लेखा पर विचार कर स्वीकृति देना ।
- ग- उद्देश्य की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य करना ।
- घ- अंकेक्षक की नियुक्ति करना ।

दिनांक विषय  
आधुनिक

9. बैठक :-  
 क- कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में होगी ।  
 ख- आमसभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी ।  
 ग- कार्यकारिणी समिति एवं आमसभा की विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है ।
10. बैठक की सूचना :-  
 क- आम सभा के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जाएगी ।  
 ख- आम सभा की विशेष बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जाएगी ।  
 ग- कार्यकारिणी समिति की बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जाएगी ।  
 घ- कार्यकारिणी समिति की विशेष बैठक की सूचना 4 दिन पूर्व दी जाएगी ।  
 ङ- बैठक की सूचना, सूचना पंजी पर हस्ताक्षर प्राप्त कर या डाक द्वारा दी जाएगी ।
11. प्रार्थित बैठक  
 दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर सचिव को एक माह के अन्दर बैठक बुलाना होगा । यदि सचिव उक्त अवधि के अन्दर बैठक का आयोजन नहीं करते है तो आवेदक को अधिकार होगा कि आवेदन पत्र में लिखित विषय के लिए बैठक का आयोजन कर सकते हैं ।
12. कोरम (गणपूर्ति)  
 प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का दो तिहाई बहुमत होगा । कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो जाएगी और पुनः स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी ।
13. आय का श्रोत :-  
 क- सदस्यता शुल्क एवं प्रवेश शुल्क ।  
 ख- सरकारी, गैर सरकारी, दान, अनुदान एवं सहायता ।
14. निधि का अंकेक्षण :-  
 क- संस्था की आय-व्यय का लेखा नियमित रूप से रखा जाएगा तथा आमसभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक से प्रतिवर्ष अंकेक्षण कराया जाएगा ।  
 ख- निबंधन महानिरीक्षक अपने विवेक से जब भी चाहे संस्था का अंकेक्षण किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करा सकते है । जिसका शुल्क संस्था द्वारा वहन किया जाएगा ।
15. कोष का संचालन :-  
 संस्था के सभी कोष को किसी बैंक या डाकघर में संस्था के नाम पर जमा किया जायेगा, जिसकी निकासी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी ।

मि. वि. प्र. प्र. प्र.

16. पंजी का निरीक्षण :-  
संस्था की सभी पंजियाँ निबंधित कार्यालय में जमा रहेंगी जहाँ कोई भी सदस्य सचिव की अनुमति से सदस्य पंजी, लेखा पंजी एवं कार्यवाही पंजी का निरीक्षण कर सकते हैं ।
17. नियमावली में संशोधन :-  
नियमावली में संशोधन आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जाएगा ।
18. कानूनी कार्रवाई -  
संस्था पर या संस्था के द्वारा कानूनी कार्रवाई सचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता की नियुक्ति समिति की सलाह से की जायेगी ।
19. विघटन एवं विघटनोपरान्त सम्पत्ति की व्यवस्था :-  
क- संस्था का विघटन संस्था अधिनियम 1860 के धारा- 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा ।  
ख- आमसभा के 3/5 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विघटन किया जायेगा ।  
ग- विघटन के उपरान्त जो चल एवं अचल सम्पत्ति बचेगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम सभा की सहमति से समान उद्देश्य वाली संस्था या सरकार को दे दी जायेगी ।

.....  
प्रमाणित किया जाता है कि यह नियमावली की सच्ची प्रति है ।

अध्यक्ष

Susmita Kumari

कोषाध्यक्ष

Kumari Khushboo

सचिव

Chauhan Sat.

पितृत्व विवाह  
आयुर्वेद

h  
9/3/11